

**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर**

**पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार, आई. ए. एस.**

**राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./35/2025/बाड़मेर**

**अपीलांटस**

**रेस्पोडेंटगण**

सुगनकंवर पत्नी दीपसिंह, उम्र 34 वर्ष, जाति राजपुत, निवासी धिरपुरा, तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर।	1. सरदारसिंह पुत्र हडवन्तसिंह 2. प्रेमकंवर पत्नी हाथीसिंह 3. सुशीलाकंवर पत्नी दीपसिंह, जातियान राजपुत, निवासी जोगीदास का गांव, तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर। 4. प्रेमकंवर पत्नी तनसिंह, उम्र 54 वर्ष, जाति राजपुत, निवासी पांचा, तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर। 5. मैनेजर, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि. शाखा लखा, जैसलमेर 6. तहसीलदार, फतेहगढ, जिला जैसलमेर।
--	--

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 43/2024 बउनवान सरदारसिंह वगैरह बनाम सुगनकंवर वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 24.10.2024 के विरुद्ध पेश हुई।

**उपस्थिति:-**

1. वकील श्री कैलाश कुमार अपीलान्त की ओर से।
2. वकील श्री महेन्द्रसिंह राव रेस्पो. सं. 1 से 4 की ओर से।
3. वकील श्री हितेश गोयल रेस्पो. सं. 5 की ओर से।
4. शेष रेस्पो. अनुपस्थित।

**—:निर्णय:—**

**दिनांक:-04.09.2025**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 04/वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा धीरपुरा, पटवार हल्का कुण्डा, तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर के खसरा संख्या 106 रकबा 3.2522 हेक्टेयर, खसरा संख्या 88 रकबा 6.5125 हेक्टेयर, खसरा संख्या 89 रकबा 3.1551 हेक्टेयर, खसरा संख्या 90 रकबा 4.9268 हेक्टेयर संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादगस्त आराजी में वादी/रेस्पोडेन्ट व अपीलांट का अपने-अपने हिस्से अनुसार सहकृषक बहैसियत कब्जा-काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकार्ड में हिस्से अंकित हैं। हस्तगत प्रकरण

**(नवनीत कुमार)**  
**राजस्व अपील प्राधिकारी**  
**बाड़मेर**

की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान कब्जा-काश्त है। वर्तमान में वादी व प्रतिवादी के बीच में विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण खेत में हिस्से को लेकर विवाद बना रहता है। ऐसी स्थिति में वादीगण (प्रत्यर्थागण) वादग्रस्त खसरान में अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करने के अधिकारी हैं। जिस हेतु बंटवारे का वाद पेश किया था। जिस पर अपीलांट को कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण से अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 24.10.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे अपीलांट के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली हेतु वकील उभयपक्ष द्वारा प्रमाणित प्रति के आधार पर बहस सुनकर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। उपस्थित विद्वान उभयपक्ष अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 01 से 04/वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा धीरपुरा, पटवार हल्का कुण्डा, तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर के खसरा संख्या 106 रकबा 3.2522 हेक्टेयर, खसरा संख्या 88 रकबा 6.5125 हेक्टेयर, खसरा संख्या 89 रकबा 3.1551 हेक्टेयर, खसरा संख्या 90 रकबा 4.9268 हेक्टेयर संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में वादी/रेस्पोंडेन्ट व अपीलांट का अपने-अपने हिस्से अनुसार सहकृषक बहैसियत कब्जा-काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकार्ड में हिस्से अंकित हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान कब्जा-काश्त है। वर्तमान में वादी व प्रतिवादी के बीच में विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण खेत में हिस्से को लेकर विवाद बना रहता है। ऐसी स्थिति में वादीगण (प्रत्यर्थागण) वादग्रस्त खसरान में अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करने के अधिकारी हैं। जिस हेतु बंटवारे का रेस्पोंडेन्ट द्वारा वाद पेश किया था। जिस पर अपीलांट को कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण से अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 24.10.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे अपीलांट के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, अधीनस्थ न्यायालय का उक्त कृत्य विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए जल्दबाजी में मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जवाब दावा लिये व बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये

(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाइमेर

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु मौका व रिकार्ड की यथास्थिति रखते हुए प्रतिप्रेषित किया जावे।

वकील रेस्पोजेन्ट द्वारा बहस करते हुए वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया एवं निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को बिना तामील के पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु राजस्व कर्मचारी मौके पर आए तो अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। जिसकी जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं रही। इस त्रुटिपूर्ण आदेश का ज्ञान अपीलांटगण को होते ही अपीलांट के द्वारा उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया और नकलें प्राप्त की गयी। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोजेन्ट द्वारा वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ़ द्वारा राजस्व वाद संख्या 43/2024 बउनवान सरदारसिंह वगैरह बनाम सुगनकंवर वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 24.10.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करतु हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

4/9/2025  
(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाइमेर अपील प्राधिकारी

यह आदेश आज दिनांक 04.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/9/2025  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाइमेर अपील प्राधिकारी  
बाइमेर